IV 22/2014

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11 DEC 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 631654

26/12/14

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 26/12/2014 को सतीशकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम बघेल निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है -

1- ट्रस्ट का नाम :- ख्यालीराम बघेल एजूकेशनल ट्रस्ट

2- ट्रस्ट का पता :- ग्राम सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

शाखा कार्यालय :- ट्रस्ट की शाखायें देश की अन्य स्थानो पर भी स्थापित की जा सकती है।

3- ट्रस्ट में लगाया गया धन:- ट्रस्ट में लगाया गया धन 5000/- पॉच हजार रुपये नकद धनराशि श्रीसतीशकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम बघेल द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।

क्रमश: 02 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

11 DEC 2014

0068

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 631655

/02/

4- ट्रस्ट के तत्व :-

मुख्य ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्व होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचियता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आद्धद करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:-

1- सतीशकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम बघेल निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टीकर्ता
2- श्रीमतीसोमादेवी पत्नी श्रीख्यालीराम बघेल निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
3- ख्यालीराम पुत्र श्री हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
4- श्रीमतीमाधुरी पत्नी श्री सतीशकुमार निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
5- सतेन्द्र पुत्र श्रीख्यालीराम निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
6- पुष्पा पुत्री श्रीख्यालीराम निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी

Salendra

क्रमशः 03पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

21 DEC 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 631656

/03/

5- ट्रस्ट के उददेश्य:-

01- युवक - युवतियो को उच्च तकनीकी एंव रोजगार परख शिक्षा प्रदान करना।

02- समान उददेश्य वाली संस्थाओ से सहायता प्राप्त करना एंव उनकी सहायता करना।

03- मानव कल्याण हेतु जनहित में कार्य करना।

04- जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा विधालयों/उच्च संस्थानो/डिग्री कालेजो/इन्जीनियरिंग/तकनीकी एंव कृषि शिक्षा संस्थानो की स्थापना,कम्प्यूटरयुक्त आधुनिक।

05- समय समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना।

06- संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओ से अथवा निजी व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।

07- ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन,अनाथ एंव निर्बल वर्ग नागरिको,वृद्धजनो,विधवा/अनाथ महिलाओ,निराश्रित बच्चो,अपंग लोगो के कल्याण हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो मन्त्रालयो एंव अन्य संस्थानो,संगठनो के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओ को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

6- ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र:- सम्पूर्ण भारत वर्ष।

7- ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य-

01- ट्रस्ट में जन साधारण्य स्वारा एंव ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एंव दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातो में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लेन देन करने { बैंक खाता ऑपरेट के लिये} मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षरो से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।

क्रमश: 04पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

सत्यमेव जयते

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 631657

/04/

02- के०आर०बी० डिग्री कालेज कोटकी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्तियो एंव उसका संचालन इसी ट्रस्ट के द्वारा किया जायेगा।

03-यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्धारा कोई भी संस्था समाप्त होती है ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वत: ही निहित हो जायेगी।

8- <u>ट्रस्टीयों की नियुक्ति:-</u>

सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेगें। किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उसके द्धारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी में सबसे बड़ा पुत्र न होने पर सबसे बडी पुत्री ही ट्रस्टी होगें।

9- <u>संचालित संस्थाओ की प्रबन्ध समितियो के नामित सदस्य:-</u>

ट्रस्ट द्वारा संचालित विधालय/महाविधालय/अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्धारा संचालित होगी की प्रबन्ध समितियो का गठन मुख्य ट्रस्टी एंव अन्य ट्रस्टी मिलकर करेगें।

यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टीयों द्धारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नही होती है तो मुख्य ट्रस्टी एंव ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यो को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेगें।

10- <u>ट्रस्ट प्रमुख :-</u>

श्री सतीशकुमार पुत्र श्री खयालीराम बघेल इस ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव होगें। मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्ट प्रमुख होगें एंवम् इनकी मृत्यु उपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी/प्रमुख ट्रस्टी होगा। उत्तराधिकारी में मुख्य ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र , पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री मुख्य ट्रस्टी/पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्टी होगी।

क्रमश: 05पर

प्रेमी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05 DEC 2014

BY 632367

/05/

11- ट्रस्टीयों की संख्या:-

ट्रस्टीयो की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर 6 होगी जिसमें वर्तमान में मुख्य ट्रस्टी सहित निम्न ट्रस्टी होगें:-

01-	सतीशकुमार पुत्र श्री ख्यालीराम बघेल निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टीकर्ता प्रबन्धक/सचिव
02-	श्रीमतीसोनादेवी पत्नी श्री ख्यालीराम बघेल निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
03-	ख्यालीराम पुत्र श्री हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी /अध्यक्ष
04-	श्रीमतीमाधुरी पत्नी श्री सतीशकुमार निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
05-	सतेन्द्र पुत्र श्री ख्यालीराम निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी
06-	पुष्पा पुत्री श्रीख्यालीराम निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।	ट्रस्टी

12- ट्रस्ट की बैठक:-

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टीयों को एक सप्ताह (7 दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रवन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रवन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

क्रमशः:06 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15 DEC 2014

BY 632368

/06/

13- गणपूर्ति :-

बैठक में समस्त ट्रस्टीयों के 2/3 ट्रस्टीयों का होना अनिवार्य है।

14- ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियो के अधिकार एंव कर्तव्य :-

01- मीटिंग बुलाने के लिये प्रबन्धक को निर्देश देना।

02- प्रबन्धक/सचिव:-

1- ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग की कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

2- ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रुप रेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना।

3- ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एंव देखभाल करना। एंव क्रय विक्रय इत्यादि करना।

4- दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखो को अपने पास सुरक्षित रखना एंव उनका समय समय पर निरीक्षण करना।

5- ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एंव वादों की पैरवी करना।

6- संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजो, ऋण अनुदान पत्रो, चैको, ड्राफ्टो, बन्धक विलेखो, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

क्रमशः: 07 पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 632369

15 DEC 2014

/07/

15- लेखा परीक्षक:-

ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टीयों के मार्ग दर्शन एंव सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एंव मुख्य ट्रस्टीयो द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एंव सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यो के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब बराबर लेखा जोखा रखेगा एंव नियमित रुप से कानून अनुसार ऑडिट आदि करावायेगा, संस्था के आय व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जॉच हेतु मुख्य ट्रस्टीगण के समक्ष प्रस्तुत करना।

क्रमश: 08 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 128929

16- संस्थाओं की प्रबन्ध समितियो का गठन:-

1- ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओ के लिये प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टीयो द्धारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2- ट्रस्ट द्धारा संचालित विधालय/महाविधालयो की प्रबन्ध समितियो के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना { उच्च शिक्षा } के अनुरूप होगा।

3- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विधालयों/महाविधालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्य ट्रस्टी और ट्रस्टी मिलकर करेगें तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नही होती है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यो को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेगें।

क्रमशः09 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 128930

/09/

4- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे

01-	अध्यक्ष	एक
02-	उपाध्यक्ष	एक
03-	प्रबन्धक/सचिव	एक
04-	उपप्रबन्धक/उपसचिव	एक
05-	कोषाध्यक्ष	एक
06-	लेखा परीक्षक	एक
07-	सदस्य	दो

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AC 128931

/10/

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 26/12/2014 को साधारण जनता के हितो व लाभों के लिये किया गया है, ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानो/डिग्री कालेजो का संचालन किया जाना,वृद्धो,निर्बलो,विकलांगो,परित्यक्ता,महिलाओ व अनाथ बच्चो की सहायता करना, रोगी आदि रोग के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्धार करने,निर्धन कन्याओ के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनो को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।

क्रमश:11 पर

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 46AC 128932

अत: यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टीयों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश व हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशाविरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवें।

क्रमश: 12 पर

Salendra

Pushpa

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /12/ 46AC 128933

तहरीरी तारीख 26/12/2014 ई0 मसविदा दिया पक्षकारान के कथनानुसार टीकमसिंह बघेल एडवोकेट तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

गवाह – लक्ष्मनसिंह पुत्र श्रीपीतमसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

गवाह – टीकमसिंह बघेल एडवोकेट तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।